(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 946–पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 121/98–99/निगरानी.

रामचन्द्र पिता भगवान
निवासी ग्राम बिजलपुर
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इंदौर
2– चन्दरसिंग पिता चैनसिंह
निवासी ग्राम लिम्बोदागारी
तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लिम्बोदागारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 7/1, सर्वे कमांक 8, सर्वे कमांक 15 एवं सर्वे कमांक 16 पैकि रकबा 1.363 हेक्टेयर के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–6/90–91 में दिनांक 27–3–91 को पारित आदेश नियमों एवं तथ्यों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर कलेक्टर, इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 115/स्वमेव निगरानी/98–99 दर्ज कर दिनांक 19–5–99 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा

दिनांक 30–3–2002 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से परे जाकर विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टान्तों का कोई हवाला न देते हुए उनका योग्य विवेचन किये बगैर आदेश पारित किया गया है, जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 190, 109 एवं 110 की मंशा के विपरीत जाकर यह अभिनिर्धारित करने में कि उक्त धाराओं के तहत विचारण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है, गम्भीर वैधानिक त्रुटि की है ।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी प्रकरण में 6 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त नहीं किया जा सकता, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थापित न्याय दृष्टान्तों का योग्य परिपालन न कर उनके विपरीत जाकर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नियम एवं विधि विपरीत आदेश पारित किया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर आदेश पारित करने में उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर सुस्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए बोलता हुआ आदेश पारित कर नायब तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश को निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत आदेश है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष

प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त मौरूसी कृषक के हक एवं उसके आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं होकर, व्यवहार न्यायालय को है । अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर